न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं० 1/विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), कन्नौज।
(J.O.CODE No. UP 6489)
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–293/2026
(CNR No.UPKJ010005932026)

01– **पंकज उर्फ चन्द्रकान्त,**
02– **नीरज उर्फ रमाकान्त,**
निवासीगण ग्राम कल्यानपुर, थाना ठठिया, जनपद कन्नौज।
..........आवेदकगण/अभियुक्तगण,

प्रति

उ0प्र0 राज्य
..........अभियोजन पक्ष,

मु0अं0सं0–52/2026
धारा 115(2), 118(2), 351(2), 352, 333 बी0एन0एस0
थाना ठठिया, जनपद कन्नौज।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

1. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **पंकज उर्फ चन्द्रकान्त व नीरज उर्फ रमाकान्त** की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के तहत अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि अभियुक्तगण/प्रार्थीगण पूर्णतः निर्दोष हैं और उन्होंने उक्त मुकदमा सम्बन्धी कोई घटना कारित नहीं की है उन्हें झूठा फंसाया गया है। घटना दिनांक 18.02.2026 समय सुबह 8.00 बजे की बताई जाती है और घटना की रिपोर्ट दिनांक 18.02.2026 समय 19:11 बजे (7:11 पी0एम0) लिखाई गयी। इस 11 घण्टे देरी का कोई सही स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है। घटना का कोई हेतुक प्रथम सूवना रिपोर्ट में नही दर्शाया गया है। दिनांक 18.02.2026 को सुबह 7.00 बजे जब प्रार्थी नीरज उर्फ रमाकात्त अपने नीबू के पेड से नीबू तोड़ रहा था, तभी वादिनी मुकदमा शान्तीदेवी पत्नी चन्द्रपाल चन्द्रपाल पुत्र रामस्वरूप, सन्तु पुत्र चन्द्रपाल ने कहा कि इससे नीबू मत तोडो और नीबू का पेड़ काट कर ले जाओं, मैंने कहा कि नीबू का पेड़ मेरी जगह में है मैं पेड क्यों काट लूं इसी बात पर सभी लोग गाली गलौज करने लगे तथा मुझे मारापीटा जिससे मेरे सिर में गम्भीर चोट आई और मेरा गला दबा दिया मैं मौके पर बेहोस हो गया था। घटना की रिपोर्ट लिखाने उसी दिन थाना गया तो मेरी रिपोर्ट तुरन्त नहीं लिखी गयी और न मजरूवी चिट्ठी दी गयी कहा जैसा मैं बताऊ वैसी तहरीर लिखो तभी मजरूबी चिट्ठी देंगे, तब प्रार्थीगण मजरूबी

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.04.15 11:01:35 IST
Reason: ANTICIPATORY BAIL REJECTED
Location: adj court 1 kannauj

हालत में पुलिस अधीक्षक के पास जाकर प्रार्थना पत्र दिया जिस पर उन्होने जॉच का आदेश कर दिया, तब प्रार्थीगण अपनी चोटो का इलाज हेतु राजकीय मेडिकल कालेज तिर्वा गया जहाँ भर्ती होकर इलाज कराया। दूसरे दिन प्रार्थी की रिपोर्ट पुलिस ने अपनी मर्जी अनुसार लिखवाकर ले ली और मु०अ०सं० 56/2026 धारा-115(2), 351 (2), 352, बी०एन०एस० में दर्ज की गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी गवाहन का नाम घटना देखने वालों का नहीं है। मुकदमे में विवेचना चल रही है और प्रार्थीगण की गिरफ्तारी की पूर्ण आशंका है। प्रार्थीगण का कभी कोई अपराधिक इतिहास नहीं रहा और न कभी किसी मुकदमा में सजा हुई। प्रार्थीगण अपनी अग्रिम जमानत देने को तैयार है। उससे गवाहन को तोडने या फरार होने की कोई आशंका नहीं है। उक्त कथनों के आधार पर अग्रिम जमानत की मांग की गयी है।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.02.2026 को सुबह 8.00 बजे के लगभग प्रार्थिनी अपने घर में कुछ काम कर रही थी, तभी प्रार्थिनी के परिवार के ही नीरज व पंकज पुत्रगण राजबहादुर, जो कि जबरन प्रार्थिनी के घर में घुस कर आये और प्रार्थिनी के साथ गाली गलौज करने लगे, विरोध करने पर प्रार्थिनी के साथ मार पीट करने लगे व **उक्त नीरज ने प्रार्थिनी की बाएं हांथ की उंगली मुख से दबा कर काट ली और काट कर अलग कर दी, जिससे उंगली से काफी खून बह गया।** उक्त लोग प्रार्थिनी को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गये। प्रार्थिनी का अंग भंग कर दिया है। प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज कर उक्त लोगों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

4. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी०एन०एस०एस० पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा केस डायरी व अन्य सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. अभियुक्तगण **पंकज उर्फ चन्द्रकान्त व नीरज उर्फ रमाकान्त** की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं० 52/2026 अन्तर्गत धारा 115(2), 118(2), 351(2), 352, 333 बी०एन०एस० थाना ठठिया, जिला कन्नौज के प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

6. पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण नीरज व पंकज पुत्रगण राजबहादुर, जो कि जबरन प्रार्थिनी के घर में घुस कर आये और वादिनी के साथ गाली गलौज करने लगे, विरोध करने पर वादिनी के साथ मार पीट करने लगे व उक्त

नीरज ने वादिनी की बाएं हांथ की उंगली मुख से दबा कर काट ली और काट कर अलग कर दी, जिससे उंगली से काफी खून बह गया। उक्त लोग वादिनी को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो जाने का अभिकथन किया गया है।

उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों तथा विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण/ आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत **अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नही है।**

आदेश

अभियुक्तगण **पंकज उर्फ चन्द्रकान्त व नीरज उर्फ रमाकान्त** की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं० 52/2026 अन्तर्गत धारा 115(2), 118(2), 351(2), 352, 333 बी०एन०एस० थाना ठठिया, जिला कन्नौज के प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

17/3/26

दिनांक 17.03.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र)
कक्ष सं० 1 कन्नौज।